

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Fax: 01364-233204, E-mail ID: eeppwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या
सेवामें,

3125/16L

दिनांक 31/8 /2016

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पाण्डवथली-उछोला-माना (FP/UK/ROAD/12372/2016) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.35 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 871/X-4-16-1(267)2016 वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 दिनांक 26.08.2016 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है-

क्र०	आपत्ति	निराकरण
1	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग की रिपोर्ट प्रारूप-7 पर उपलब्ध नहीं है।	सम्बन्धित रिपोर्ट संलग्न है।
2	उक्त मामले से कितने गांव एवं कितनी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।	उक्त मार्ग आर्युवेदिक चिकित्सालय पाण्डवथली, रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली, ए.एन.एम. सेन्टर हेतु प्रस्तावित है। जिनसे ग्राम धारकोट (200), महरगांव (159), पांजणा (175), तैला (250) आदि के ग्रामीणों का लाभ मिलता है।

अतः अनुरोध है कि पत्रावली पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि वनभूमि पर लगी आपत्ति का निराकरण हो सके।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer Construction Division Rudraprayag (for diversion under FCA-1980) of 0.350 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Pandavthali Uchola Malla Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 16-06-2016.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF / PF / un-classed / Other forests measuring 0.350 ha. (Revenue Forest Land)

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- No

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommend in the Public Interest.

(Signature)

Place:- Rudraprayag

Name - (Rajiv Dhiman)

Designation - D.C.F.

Date :- 16.06.2016

Office Seal **उप वन संरक्षक**
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थान

जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी० 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आयु० चिकित्सालय-रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

- | | | |
|-------|---|---|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | रूद्रप्रयाग। |
| iii) | वन प्रभाग | रूद्रप्रयाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में) | 0.700 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | 0.3500 है० सिविल सोयम भूमि
0.0000 आरक्षित वन भूमि,
0.0700 है० नाप भूमि
0.0000 वन पंचायत भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | 0.0000 0.10 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूची में संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 0.100 किमी० |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है।
<u>न्यूनतम</u> |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का | लागू नहीं |

ब्यौरा दें तथा उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

1984 वर्ग किमी०

ii. जिला का वन क्षेत्र।

1790.995 वर्ग किमी०

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

580.852 hae. 145 case

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

727.29 hae.

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

X

(ख) वनेत्तर भूमि पर

X

v. 2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

727.29 hae.

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

विकास कार्य

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक.....

स्थान-रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

30.10.20
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
उत्तरांचल प्रदेश

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी० 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आयु० चिकित्सालय-रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र

इस परियोजना से आर्युवेदिक चिकित्सालय पाण्डवथली, रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली, ए.एन.एम. सेन्टर जोड़े जायेंगे।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र० सं०	गांव का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
1	धारकोट	55	200
2	महरगांव	30	159
3	पांजणा	40	175
	तैला	65	250


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिषासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग